प्र.सं. 70/2020 नवलसिंह व अन्य बनाम श्रीमती मिताली व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वास में आराजी नंबर 312 रकबा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की ओर संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है, परन्तु भूमि भाामलाती होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पाली डोली को लेकर विवाद होता रहता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्प चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में दिनांक 24.06.2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 29.10.2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अरूण जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से वकील श्री गोपीलाल रेगर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री दीपक डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 26.10.2021 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में शुमार की [illegible] पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त [illegible] बहस पर मनन किया एवं पत्रावली [illegible] किया। न्यायहित में [illegible] कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ [illegible] की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:53 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार को उभयपक्षों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी थी, किन्तु तहसीलदार मौके पर नहीं गये एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बिना अपीलान्टगण को सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गयी है तथा फर्द बंटवारे पर अपीलान्टगण से आपत्तियां लिए बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर पुनः प्रारम्भिक डिक्री की पालना का आदे । फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है तथा मौका रिपोर्ट अपीलान्टगण की अनुपस्थित में तैयार की गयी है। तद्नुसार उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 79/2016 निर्णय दिनांक 24.06.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में स्वयं तहसीलदार पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार करें एवं अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें, तत्प चात् उक्त फर्द बंटवारे पर यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति है तो उसका निस्तारण करते हुए पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.12.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
पीठासीन अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर